बजट 2019... कर वसूली बढ़ाने के लिए कानून में कई सुधार आवश्यक

टैक्स के अलावा अन्य स्त्रोंतों से पैसा जुटाना होगा

राम सिंह
प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स
ramsingh@econdse.org

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट धीमी आर्थिक वृद्धि, घटती बचत व निवेश तथा गिरती खपत से पेश चुनौतियों के बीच पेश हो रहा है। मानसून की निराशाजनक शुरुआत और अमेरिका के साथ व्यापार में टकराव ने आर्थिक परिदृश्य और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

जीडीपी वृद्धि पांच वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुंचकर 6.8 फीसदी रह गई है। निवेश जीडीपी के 30 फीसदी के करीब घट गया है, जबकि इसका 15 वर्षों का औसत 35 फीसदी है। इस साल मई में भारत के व्यापार संतुलन में 15.4 अरब डॉलर का घाटा दर्ज हुआ। अचरज नहीं कि इस परिदृश्य में मैन्यूफैक्चरिंग का स्तर नीचे आ गया। कार-बाइक के उत्पादन में तीव्र गिरावट इसकी बानगी है। फिर नए प्रोजेक्ट की संख्या 15 वर्षों में सबसे कम है। जून में जीएसटी संग्रहण भी एक लाख करोड़ प्रति माह के मानक से नीचे रहा। ये आंकड़ें बताते हैं कि अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी है। उपभोक्ता व निवेशक अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर अनिश्चय में हैं। बैंकों ने भी खपत व निवेश के लिए लेंडिंग घटा दी है। नतीजतन आर्थिक वृद्धि के लिए जरूरी मांग व निवेश को चोट पहुंची है।

ऐसी स्थिति में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन के लिए कड़े संतुलन को साधने की चुनौती है। उन्हें उन कल्याण कार्यक्रमों के लिए पैसा जुटाना है, जिनका प्रधानमंत्री ने वादा किया है। इसमें प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए जरूरी 87,000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। फिर वित्तीय घाटा भी काबू में रखना है यानी कुल खर्च और सरकारी राजस्व आमदनी का फर्क अधिक नहीं होने देना है। वृद्धि को तेजी देने के लिए वे बहुआयामी रणनीति अपना सकती हैं। एक, सड़क, रेलवे, बंदरगाह, सिंचाई, जल-दोहन, पवन व सौर ऊर्जा के संयंत्र जैसे बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश अच्छा-खासा बढ़ाना होगा, फिर चाहे वित्तीय घाटा 3.4 फीसदी से अधिक क्यों न हो जाए। बुनियादी ढांचे में निवेश का नतीजा तत्काल रोजगार निर्मित होने, आय बढ़ने और खपत व निवेश के सामानों में अत्यावश्यक मांग बढ़ने में दिखता है।

दो, वित्तमंत्री को रियल एस्टेट में निर्माण की गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए टैक्स प्रोत्साहन देना होगा। निर्माण कार्य ही अकुशल व अर्ध कुशल कामगारों के लिए रोजगार का मुख्य स्रोत है। यह सेक्टर मंदी से पीड़ित रहा है और इसे कर के जरिये और इसके अलावा प्रोत्साहन की जरूरत है।

तीन, वित्त मंत्री को आमदनी के लिए गैर-टैक्स स्रोतों की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। पैसा जुटाने के लिए विनिवेश का रास्ता अपनाया जा सकता है। जैसे पूरे हो चुके हाईवे और संचालित हो रहे एयरपोर्ट टोल व एयरपोर्ट ऑपरेटरों को सौंपे जा सकते हैं। ऐसी बिक्री निवेश को बढ़ावा देने और गरीबों के लिए कल्याण कार्यक्रमों को पैसा देगी। इसके अलावा कर राजस्व की वृद्धि दर में सुस्ती को भी दुरुस्त करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक पेशेवर लोग और सेवा क्षेत्र के कुछ बिजनेस आय को कम दर्शाकर कम टैक्स चुकाते हैं। जीएसटी के बेहतर अमल से कर पालन में सुधार किया जा सकता है। फिर आमदनी को कम दर्शाना मुश्किल होगा। जहां जीएसटी के बेहतर अमल से अर्ध-औपचारिक व मझौले किस्म की कंपनियों में कर चोरी रोकी जा सकती है, ऊंची आमदनी वाले लोगों और बड़े कॉर्पोरेट में कर अपवंचन इससे नहीं रुकेगा। इसके लिए टैक्स कानून में कई सुधार आवश्यक हैं। मौजूदा कानून के तहत ढाई लाख से नीचे की आमदनी पर आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी नहीं है। इसलिए अनौपचारिक क्षेत्र में पेशेवर व बिजनेसमैन टैक्स रडार पर नहीं आते। फरवरी के अंतरिम बजट में घोषित कर छूट से यह समस्या और बढ़ जाती है। इसमें 5 लाख तक की कर योग्य आय पर पूरी छूट दी गई है। इसलिए यदि आय पांच लाख से बढ़कर 5,00,100 हो जाती है तो कर की देय राशि 12,510 रुपए हो जाती है। ऐसे प्रावधानों से कर अपवंचन को बढ़ावा मिलता है।

आयकर रिटर्न दाखिल करना सारे स्वामित्व वाले बिजनेस और पेशवरों के लिए अनिवार्य होना चाहिए फिर उनका मुनाफा कुछ भी क्यों न हो। इससे टैक्स आधार और अनुपालन बढ़ेगा, क्योंकि कर अधिकारी संदिग्ध मामलों की जांच कर पाएंगे। संपदा कर भी फिर लाया जाना चाहिए। आयकर के विपरीत संपदा में हेराफेरी मुश्किल होती है। कर कानून कंपनियों को पूर्व में हुए नुकसान को भावी मुनाफे से पाटने की अनुमति देता है। आयकर कानून के तहत खर्च की परिभाषा को बिजनेस घराने अपने हित में भुना लेते हैं। फर्जी खर्च और मुनाफा कम दिखाकर कॉर्पोरेट देय कर की राशि घटा लेते हैं। 46 फीसदी कॉर्पोरेट ने 2017-18 में नुकसान दिखाया है या शून्य मुनाफा। इतने ही कॉर्पोरेट ने एक करोड़ रुपए से कम का मुनाफा दिखाया है। ऐसे संदिग्ध व्यवहार को खत्म करने के लिए कर कानून में सुधार की जरूरत है।

कई कानूनी रियायतों से कॉर्पोरेट के लिए कर अपवंचन आसान हो गया है। बड़े कॉर्पोरेट के पास उनका फायदा लेने के साधन होते हैं। इसलिए कार्यशील टैक्स दर बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटी कंपनियों के लिए अधिक है। कर संजाल बढ़ाने और कर कानूनों का पालन बढ़ाने के लिए कानून की निरोधक शक्ति बिना इंस्पेक्टर राज लाए, बढ़ाने की जरूरत है। इससे सरकार को टैक्स राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी।

आखिर में वित्त मंत्री को टैक्स अधिकारियों को काबू में कर बड़े व छोटे व्यवसायों में आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय करने होंगे। जैसे कंपनियों को कॉटन व कृषि आधारित उद्योगों में विस्तार के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। बैंकों को भी अति लघु और छोटे उद्योगों को अधिक ऋण देना चाहिए ताकि रोजगार पैदा करने को प्रोत्साहन मिल सके।